बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

सं0सं0- स0क0निग0-232/2024-

-:: संकल्प ::-

निदेशक, आई०सी०डी०एस० के पत्रांक-5882 दिनांक-09.10.2024 द्वारा प्राप्त आरोप पत्र में श्रीमती दर्शना कुमारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, खोदावंदपुर, बेगूसराय अतिरिक्त प्रभार छौड़ाही, बेगूसराय के विरूद्ध सेविका / सहायिका की माह जनवरी, 2024 से जून, 2024 तक का उपस्थति विवरणी आंगन एप पर ससमय अपलोड नहीं करने तथा श्री राजवंशी महतो, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा दिनांक-27.02.2024 को सदन में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-1967 का उत्तर सामग्री तैयार कर बाल विकास परियोजना, छौड़ाही एवं खोदावंदपुर के क्रमश: पत्रांक-50 दिनांक-16.02.2024 तथा पत्रांक-76 दिनांक-16.02.2024 द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बेगूसराय को दिया गया है परंतु दिये गये उत्तर सामग्री में प्रश्न क्रमांक-3 के संबंध में मूल तथ्यों को छुपा लिया गया है, जो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता का द्योतक पाते हुए श्रीमती कुमारी से विभागीय पत्रांक-5927 दिनांक-19.11.2024 एवं पत्रांक-6269 दिनांक-28.11.2024 द्वारा स्पष्टीकरण की मॉग की गई। जिसके आलोक में श्रीमती दर्शना कुमारी के पत्रांक-608 दिनांक-05.12.2024 द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संतोषप्रद नहीं मानते हुए उपरोक्त अनियमितताओं के लिए श्रीमती दर्शना कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, खोदावंदपुर, बेगूसराय अतिरिक्त प्रभार छौड़ाही, बेगूसराय के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिये गये निर्णय के तहत उपरोक्त आरापों के संबंध में श्रीमती दर्शना कुमारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, खोदावंदपुर, बेगूसराय अतिरिक्त प्रभार छौड़ाही, बेगूसराय के विरूद्ध विहित प्रपत्र में आरोप पत्र गठित किया गया। गठित एवं अनुमोदित आरोप पत्र पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-17(4) के प्रावधानों के तहत विभागीय पत्रांक-6386 दिनांक-29.08.2025, पत्रांक-7053 दिनांक-08.10.2025, पत्रांक-7490 दिनांक-18.11.2025 एवं पत्रांक-61 दिनांक-05.01.2026 द्वारा इनसे लिखित अभिकथन की मॉग किये जाने पर इनके पत्रांक-81 दिनांक-27.01.2026 द्वारा लिखित अभिकथन उपलब्ध कराया गया। आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त लिखित अभिकथन के समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती दर्शना कुमारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया था।

उक्त के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या-1996 दिनांक-22.04.2026 द्वारा श्रीमती दर्शना कुमारी के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2)(5)(क) एवं (ग) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई थी, जिसका संचालन पदाधिकारी श्री राकेश कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री दीपक कुमार चौहान, प्रशाखा पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को उपस्थापन पदाधिकारी/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति अन्यत्र हो जाने के कारण उनके द्वारा पत्रांक-1082 दिनांक-30.04.2026 द्वारा संकल्प की प्रति वापस कर दी गई है।

जिसके कारण अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उनके जगह श्रीमती मार्गण सिन्हा, उप सचिव, समाज कल्याण विभाग को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है।

इस संकल्प की एक प्रति आरोप-पत्र एवं साक्ष्यों की प्रति सहित श्रीमती मार्गण सिन्हा, उप सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। संचालन पदाधिकारी (जॉच पदाधिकारी) से अनुरोध है कि वे विभागीय कार्यवाही का संचालन तुरंत प्रारंभ कर दें तथा अविलंब जॉच पूर्ण कर जॉच प्रतिवेदन 02 (दो) माह के अन्दर समर्पित करें। कार्यवाही के अभिलेख में आदेश फलक (ऑर्डरशीट) संलग्न रहनी चाहिए।

साथ ही इस आदेश की एक-एक प्रति उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी तथा श्रीमती दर्शना कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, खोदावंदपुर अतिरिक्त प्रभार छौड़ाही, बेगूसराय सम्प्रति बरबीघा, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(धर्मेन्द्र कुमार)

निदेशक

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स0क0निग0-232/2024- 2977 पटना-15 दिनांक :- 12.06.2026

ई-मेल/ निबंधित

प्रतिलिपि :- वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना / प्रमण्डलीय आयुक्त का कार्यालय, मुंगेर/निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, बेगूसराय/शेखपुरा/ जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बेगूसराय/शेखपुरा / माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव (स्थापना), समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना / श्री दीपक कुमार चौहान, प्रशाखा पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना / श्रीमती दर्शना कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, खोदावंदपुर अतिरिक्त प्रभार छौड़ाही, बेगूसराय सम्प्रति बरबीघा, शेखपुरा बिहार / विभागीय आई० टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु), को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/06/20

निदेशक

समाज कल्याण विभाग।